No J-11012/01/2015-RE-I (FTS-345456)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
*****

Krishi Bhavan, New Delhi-110114
Dated 30 September, 2016

CIRCULAR

Subject: 2nd Amendment of the Annual Master Circular, 2016-17-reg.

It has been decided by the Ministry to amend para 7.1.1 and 7.1.2 of the Annual Master Circular (AMC), 2016-17. Henceforth, these paras of the AMC, 2016-17 may be read as under: -

7.1.1. Funds are released to the States/UTs normally in two tranches on the basis of agreed to Labour Budget and performance of the States/UTs during the year. Each tranche may consist of more than one instalment.

7.1.2. 1st Tranche is released to States/Districts in the month of April. The quantum of 1st tranche is based on the number of persondays projected by the States/UTs for the first six months of the year (up to September) in the agreed to Labour Budget. The first tranche is released after adjusting unspent balance available with the districts/States and considering the pending liabilities, if any. First instalment of the 1st tranche would be based on the provisions of the Vote on Account.

7.1.2(a) If the States require additional funds for implementation of MGNREGA upto 30th September, the same would be considered based on performance during the period from April to the date of submission of the proposal and funds would be released accordingly.

30/9/16

(Aparajita Sarangi)
Joint Secretary (MGNREGA)
Telefax: 23383553

To

The Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary *(In-charge of MGNREGA)*
Rural Development Department,
(All States/UTs)

Copy to :

1. All Directors/Dy. Secretary/Under Secretaries/Assistant Commissioner/ Assistant Director/Economic Officer/Section Officers in MGNREGA Division.
2. Sr. PPS to Secretary(RD)/PPS to SS&FA(RD)

सं0 जे-11012/01/2015-आर0ई0-I (345456)
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
(मनरेगा प्रभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक ~~सितम्बर~~ 3 अक्टूबर, 2016

परिपत्र

विषयः मास्टर सर्कुलर (वित्तिय वर्ष 2016–17) मे द्वितिय संशोधन।

मास्टर सर्कुलर (वित्तिय वर्ष 2016–17) के पैरा संख्या 7.1.1 और 7.1.2 में इस मंत्रालय ने संशोधन का निर्णय लिया है। अब से, इन पैराओं को निम्नानुसार पढा जाये :-

7.1.1 "राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों को निधियां स्वीकृत श्रम बजट और वर्ष के दौरान राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों के निष्पादन के आधार पर सामान्यत: दो ट्रेंचों में रिलीज की जाती हैं। प्रत्येक ट्रेंच में एक से अधिक किश्तें हो सकती हैं।"

7.1.2 राज्यों/जिलों को पहली ट्रेंच अप्रैल माह में रिलीज की जाती है। पहली ट्रेंच की राशि श्रम बजट में वर्ष के पहले 6 माह में (सितम्बर तक) राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों द्वारा अनुमानित श्रम दिवसों की संख्या पर आधारित होती है। पहली ट्रेंच जिलों/राज्यों के पास उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि का समायोजन करने और लंबित देनदारियोंए यदि कोई होए पर विचार करने के बाद रिलीज की जाती है। पहली ट्रेंच की पहली किश्त लेखानुदान के प्रावधानों पर आधारित होगी।

7.1.2(क) यदि राज्यों को मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता हो तो उस आवश्यकता पर विचार अप्रैल से उस प्रस्ताव की प्रस्तुती की तारीख तक की अवधि में निष्पादन के आधार पर किया जाएगा।

अपराजिता सारंगी
(अपराजिता सारंगी) 3/10
संयुक्त सचिव (ग्रामीण रोजगार)

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव (मनरेगा प्रभारी)
ग्रामीण विकास विभाग, सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश

प्रतिलिपि: सभी निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव/सहायक आयुक्त/सहायक निदेशक/अनुभाग अधिकारी/आर्थिक अधिकारी, मनरेगा प्रभाग
वरिष्ठ प्रधान निजि सचिव (SRD)/ प्रधान निजि सचिव(SS&FA)